

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद जालौन (उरई) में बिलरार्यो-पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-21) के चैनेज 318.000 से 352.000 तक (लम्बाई 34.00 किमी०) 4-लेन का निर्माण कार्य हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों के स्थान पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु मार्ग निर्माण से प्रभावित वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का भुगतान वन विभाग के आंकलन के अनुसार लो०नि०वि०, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।

की.आर.  अधिवक्ता
उप वन संरक्षक
जालौन आंचलिक वन प्रभाग
उरई (जालौन)

(इ० वी०क०राय) 
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, उरई
जनपद - जालौन
(N.K. Rai)
Executive Engineer
Construction Division 3 PWD ORAI


वचनबद्धता प्रमाण पत्र

भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्तें लगाई जायेगी, लोक निर्माण विभाग को मान्य होगी।


श्री. आर. अहिवाल
उप वन सूरक्षक
जलियन सीओओ वन प्रभाग
उरई (जलियन)


(इं० वी० क० राय)
अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो० नि० वि०, उरई
जनपद - जालौन
(N.K. Rai)
Executive Engineer
Construction Division 3 PMO ORAI
